

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
(राजकीय वादकरण)

क्रमांक प. 7(111)राज/वाद/22 पार्ट-I

जयपुर दिनांक 01/8/25

::शुद्धि-पत्र::

विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.08.2025 के द्वारा राजस्थान अधीनस्थ मंत्रालयिक सेवा नियम, 1999 (संशोधित नियम 2015) के अन्तर्गत निदेशालय, विधि (राजकीय वादकरण) विभाग एवं इसके अधीनस्थ कार्यालयों में अतिरिक्त निजी सचिव के पदों पर पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति वर्ष 2025-26 की डीपीसी हेतु आयोजित बैठक दिनांक 31.07.2025 में की गई अभिशंका के अनुसार उक्त आदेश में वर्णित कुल 28 निजी सहायकगण ग्रेड-I को अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर पदोन्नत किया गया है।

उक्त विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 01.08.2025 की षष्ठम् पंक्ति में टंकित "निजी सहायक ग्रेड-I" के स्थान पर "अतिरिक्त निजी सचिव" पढ़ा जावे।

हो
(ब्रजेन्द्र कुमार जैन)
प्रमुख शासन सचिव, विधि

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशेषाधिकारी, माननीय विधि मंत्री महोदय।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि/शासन सचिव, विधि/विशिष्ट शासन सचिव, विधि (वादकरण)।
3. राजकीय अधिवक्ता मय अतिरिक्त महाधिवक्ता, जयपुर/जोधपुर।
4. संबंधित जिला कलक्टर,.....।
5. संबंधित कोषाधिकारी,.....।
6. संबंधित कार्यालय,.....।
7. सहायक लेखाधिकारी-I, वादकरण।
8. संबंधित कर्मचारी,.....।
9. ए.सी.पी., विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
10. रक्षित पत्रावली।

सुरेश चंद बंसल
(सुरेश चंद बंसल)
शासन सचिव, विधि